राजस्थान–सरकार

न्यायालय आर्बिट्रेटर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 32/2020 फोरलेन

उनवान

1. गणपतलाल पिता मोहनलाल जी महाजन (नानेचा) उम्र 74 वर्ष निवासी पोटला तहसील–सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

–प्रार्थी

बनाम

1. परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण.पी.आई. यू. 6–ए–1 आर.सी. व्यास कोलोनी भीलवाड़ा
2. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार जरिये सचिव
3. सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु गंगापुर जिला भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

परिवाद – परिवादी प्रार्थी की ग्राम पोटलां में स्थित आराजी संख्या 1207 रकबा 0.01 है0 भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 (राजसमन्द से भीलवाड़ा सेक्शन) में चली गयी जिसका प्रतिकर दिलाये जाने के संबंध में।

उपस्थित :– श्री भैरूलाल बापना – प्रार्थी की ओर से ।
श्री दिनेशचंद्र बापना – विपक्षी सं. 1 व 2की ओर से।
विपक्षी संख्या 3 व 4 की ओर से विभागीय प्रतिनिधी।

न्यायालय कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

आदेश

दिनांक :–27.07.2022

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 758 (राजसमन्द से भीलवाड़ा सेक्शन) में सर्वेक्षित ग्राम पोटलां तहसील सहाडा की आराजी खसरा नं. 1207 रकबा 0.01 है. भूमि किस्म गै.मु.आ. चाह को विपक्षी सं. 1 व 2 क्रमशः परियोजना निर्देशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फोरलेन निर्माण करने में काम में लिया जाकर उस पर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कर लिया गया है, परन्तु परिवादी प्रार्थी खातेदार को इस अवाप्तशुदा भूमि के प्रतिकर का भुगतान नहीं किया गया है। प्रार्थी खातेदार ने विपक्षी सं. 3 सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर के यहां दिनांक 29.04.2016 को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उनकी उक्त आराजी सं. 1207 राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 758 में फोरलेन निर्माण में चली गयी है जिस पर उन्होंने विपक्षी सं. 4 तहसीलदार सहाड़ा मु. गंगापुर से उसकी जांच करवाथी जिसमें पाया गया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार ग्राम पोटला की आराजी सं. 1207 रकबा 0.01 है. भूमि किस्म गे मुआ. चाह फोरलेन नक्शा अनुसार रोड बनाने हेतु प्रभावित है तथा भूमि का प्रार्थी को मुआवजा दिया जाना शेष है।

जिला कलक्टर
(आर्बीट्रेटर)
भीलवाड़ा

सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर ने प्रार्थी परिवादी की उक्त अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में तहसीलदार, सहाड़ा की जांच रिपोर्ट की छायाप्रति पत्र क्रमांक एनएच–768/2019/174 दिनांक 13.09.2019 के साथ संलग्न कर विपक्षी सं 1 परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भीलवाड़ा के पास भिजवाकर नियमानुसार धारा 3 ए की कार्यवाही करवायी जाने व उनको वापस सूचित करने हेतु निर्देश दिया। परिवादी प्रार्थी की खातेदारी की आराजी पर विपक्षी सं. 1 व 2 ने उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कर लिया है, उसकी जांच रिपोर्ट विपक्षी सं. 1 को सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) गंगापुर द्वारा भेज दिये जाने के बावजूद अभी तक विपक्षी सं. 1 व 2 ने न तो धारा 3 ए का प्रकाशन कराया है और न ही प्रतिकर राशि का भुगतान परिवादी प्रार्थी को किया गया है।

परिवादी प्रार्थी की उक्त भूमि आराजी खसरा सं. 1207 रकबा 0.01 है. जो कि गै.मु.आ. चाह (कुआ) है उस पर विद्युत का कृषि कनेक्शन लेने हेतु परिवादी प्रार्थी ने दिनांक 31.03.2009 को अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. में 2,585/– रूपये जमा कराए थे, जिस पर दिनांक 21.04.2014 को सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन हेतु मांगपत्र अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. द्वारा परिवादी प्रार्थी को प्रेषित किया गया जिस पर मांगपत्र में वर्णित राशि 14,150/– रूपये दिनांक 15.07.2014 को रसीद सं. 20 द्वारा मुझ प्रार्थी परिवादी ने विद्युत विभाग में जमा करा दिये जिसकी अनुपालना में इस कुए पर विद्युत कनेक्शन स्थापित कर दिया गया, तब से ही इस विद्युत कनेक्शन द्वारा उक्त कुएँ से मुझ परिवादी प्रार्थी की भूमि सिंचित होती आ रही है, जिसके विद्युत खर्च के बिलों का भुगतान अब तक परिवादी प्रार्थी द्वारा विद्युत वितरण निगम को किया जा रहा है। सेटलमेंट विभाग द्वारा सन् 1997 में जारी की गयी पानडी में भी परिवादी प्रार्थी की उक्त भूमि आराजी खसरा नं. 1207 रकबा 0.01 है. को गै. मु.आ. चाह (कुआ) के रूप में दर्शाया गया है। परिवादी प्रार्थी का यह कुआ करीब 50 फीट गहरा था जिसमें विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा मिट्टी भरवाकर उस पर सड़क का निर्माण करवा दिया गया। तहसीलदार सहाड़ा द्वारा मौके की जांच के समय मुझ परिवादी प्रार्थी ने जेसीबी मशीन से मिट्टी को बाहर निकलवाया था, जिसकी पुष्टि में तहसीलदार ने अपनी जांच रिपोर्ट में सत्यापित किया था कि मौके पर आराजी नं. 1207 पर कुआं था जिस पर फोरलेन का निर्माण हो गया है। विपक्षी सं. 1 व 2 द्वारा प्रार्थी परिवादी की खातेदारी अधिकार आधिपत्य की आराजी खसरा स. 1207 पर सड़क का निर्माण कर लिये जाने के बावजूद उसे प्रतिकर राशि का भुगतान प्रार्थी परिवादी को नहीं किया गया है जिससे प्रार्थी को बहुत हानि हो रही है।

प्रार्थी परिवादी ने अवाप्तशुदा उक्त आराजियात के प्रतिकर भुगतान हेतु विपक्षी सं. 1 को दिनांक 20.01.2020 को वकील के मार्फत रजिस्टर्ड नोटिस भी दिलाया जिसकी प्रतिलिपी विपक्षी सं. 3 को भी भेजी गयी, किन्तु विपक्षी सं. 1 व 2 ने आज दिनांक तक मुझ परिवादी की अवाप्तशुदा भूमि के प्रतिकर का भुगतान मुझ प्रार्थी को नहीं किया है, जबकि उक्त नोटिस का जवाब देते हुए विपक्षी सं. 3. सक्षम अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर ने भी अपने पत्र क्रमांक : एन. एच–758/2020/25 दिनांक 21.01.2020 द्वारा विपक्षी सं. 1 को प्रतिकर राशि का भुगतान प्रार्थी परिवादी को करने हेतु कार्यवाही करने बाबत् निर्देशित किया गया है। मैं परिवादी प्रार्थी मेरी उक्त अवाप्तशुदा भूमि जिस पर कि विपक्षी सं. 1 व 2 ने फोरलेन सड़क का निर्माण कर लिया है उस आराजी खसरा सं. 1207 रकबा 0.01 है. गै.मु. चाह का व संरचना का बाजार मूल्य की दर से प्रतिकर राशि सोलेशियन राशि व सन् 2016 से जबकि इस भूमि पर फोरलेन सड़क का निर्माण कर लिया गया था तब से ताअदायगी तक 15 प्रतिशत वार्षिक से ब्याज भी प्राप्त करने का अधिकारी हूँ।

जिला कलक्टर
(आर्बीट्रेटर)
भीलवाड़ा

सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर द्वारा इस जांच रिपोर्ट की छायाप्रति पत्र क्रमांक/एन.एच. 758/2019/174 दिनांक 13.09.2019 के साथ संलग्न कर विपक्षी सं. 1 परियोजना निदेशक को प्रेषित कर नियमानुसार धारा 3 ए की कार्यवाही करवायी जाने का निर्देश दिया, किन्तु विपक्षी सं. 1 व 2 ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया व फोरलेन निर्माण में काम में ली गयी प्रार्थी की भूमि का कोई प्रतिकर निर्धारण कर उसका भुगतान प्रार्थी को नहीं किया जो आश्चर्य का विषय है। इसके पश्चात् प्रार्थी ने विवश होकर दिनांक 10.08.2020 को उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस पर दोनों पक्षों की उपस्थिति में आराजी नं. 1207 वाके पोटलां का इस न्यायालय के आदेश से पुनः तहसीलदार सहाड़ा मु. गंगापुर द्वारा मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत की जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी की आराजी नं. 1207 रकबा 0.01 हैक्टेयर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के ROW सीमा में होकर मध्य से 21 मीटर से 26 मीटर के मध्य स्थित है, उक्त भूमि का मुआवजा प्रार्थी को नहीं दिया गया है ।

ऐसी स्थिति में यह प्रकरण कम या अधिक मुआवजा देने के संबंध में नहीं होकर प्रार्थी की भूमि को फोरलेन निर्माण में काम में ले लिये जाने के बावजूद विपक्षी सं. 1 व 2 द्वारा उसके मुआवजे का भुगतान प्रार्थी को नहीं किये जाने के संबंध में है जिसका वाद हेतुक प्रकट होता है एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विनिश्चय करने का पूरा अधिकार इस न्यायालय को है। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का कानूनी दृष्टांत 2012 WLC (Raj.) UC 320 भागीरथमल बनाम राजस्थान सरकार राज्य इस प्रकरण में लागू होता है। अतएव

आदेश

अतः परिवादी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे प्रार्थी की ग्राम पोटलां में स्थित आराजी नं. 1207 रकबा 0.01 हैक्टेयर जो कि तहसीलदार सहाड़ा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांकित 29.11.2021 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 758 के फोरलेन निर्माण में काम में ली गयी है उसका एन0एच0आई0एक्ट0 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिकर निर्धारण करने की कार्यवाही कर उसका मय सोलेशियम राशि के व सन् 2016 से जबकि प्रार्थी की भूमि पर विपक्षी सं. 1 व 2 द्वारा फोरलेन सड़क का निर्माण कर लिया गया था तब से ताअदायगी नियमानुसार ब्याज सहित भुगतान करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस बाबत् विपक्षी सं. 1 व 2 को निर्देशित किया जाता है कि वे राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 एवं भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार तीन माह की अवधि में कार्यवाही सम्पादित कर अपना प्रतिवेदन सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के न्यायालय में प्रस्तुत करें व प्रतिकर निर्धारण होने के बाद निर्धारित अवधि में प्रतिकर राशि का नियमानुसार भुगतान ब्याज व सोलेशियम राशि सहित प्रार्थी को करने की कार्यवाही करे। निर्णय की प्रति सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 को भिजवायी जावें।

आदेश आज दिनांक 27.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर (आर्बिट्रेटर)
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
(आर्बीट्रेटर)
भीलवाड़ा

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)